न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :— राजेन्द्र कुमार—।। आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 119/2019

1. लाधुराम पुत्र रतीराम
2. ओमप्रकाश पुत्र लाधुराम
3. रेवंतराम पुत्र लाधुराम

} जाति जाट निवासीगण मोहकमपुरा तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

—प्रतिवादी—

उपस्थित :—

1 श्री रामरण मूण्ड वादीगण वकील

2. पेरोकार राज।

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीए एवं धारा 131,132,136 एलआर एक्ट

—: निर्णय :—

दिनांक :— 20/12/2022

वादी वकील वादीगण एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से श्री रामकरण मूण्ड वकील द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,89,,188 आरटीए एवं धारा 131,132,136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण के नाम से ग्राम रोही मोहकमपुरा तहसील लूनकरनसर के खसरा नंबर 554/469 तादादी 7.28 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजव रिकार्ड में वादीगण के नाम से दर्ज है जिसमें वादी संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 544/469/3 में 3.74 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 के नाम से खसरा नम्बर 544/469'/2 में तादादी 1.77 हैक्टेयर पासा उपूर्व दिशा की खातेदारी उपरोक्त अनुसार वादीगण के नाम से जमाबन्दी संवत 2070—2073 में वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी संख्या 2,3 को जरिए गिफ्ट डीड दिनांक 26.04.2017 से प्राप्त हुई है व उपरोक्त पासे अनुसार ही वादीगण अपनी भूमि पर बैठे हैं। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है तथा नक्शे में तरमीम करके जमाई हुई हैं। वादी की ग्राम रोही मोहकमपुरा तहसील लूनलकरनसर के खसरा नम्बर 544/469 तादादी 7.28 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से दर्ज है जिसमें वादी संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 544/469/3 में 3.74 हक्टेयर व वादी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 544/469/2 में तादादी 1.77 हैक्टेयर पासा [illegible] भूमि व वादी संख्या 3 के नाम खसरा नम्बर 544/469/1 में तादादी 1.77 हैक्टेयर पासा पूर्व दिशा की खातेदारी उपरोक्त अनुसार वादीगण के नाम से जमाबन्दी संम्वत 2070—2073 में वादीगण की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी नक्शा एवं खसरा गिरदावरी में वादीगण के नाम दर्ज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

ग्राम महोकमपुरा के रकबे की चकबन्दी राजस्व विभाग द्वारा की गई हैं। जो कब्जेकाश्त एवं नक्शे में की गई तरमीम के अनुसार नहीं बनाई गयी है इस प्रकार चकबन्दी सही रूप से नहीं की गई हैं। जो दुरूस्ती योग्य है क्योंकि वादीगण की भूमि पूर्व से ही तरमीमशुदा भूमि है व चारों और अलग–अलग जहां पर स्थाई पत्थरगडी की हुई हैं। जहां से कई बार उक्त गावों की भूमि का सीमा ज्ञान किया गया जिसमें उक्त मरकस को पुख्ता माना गया हैं। इस प्रकार राजस्व अमला द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि की चकबन्दी रिकार्ड व कब्जेकाश्त के अनुसार नहीं की गई हैं। जो वादीगण के अधिकारों के समक्ष प्रभावहीन एवं शून्य हैं। खसरा नम्बर 544/469में तादादी 7.28 हैक्टेयर बारानी भूमि के चक 2 एमजीडी के मु0नं0 82/63 के कि0नं0 25 में 1 बीघा अनकमांड मु0नं0 82/64 के कि0नं0 4ता9, 11ता19, 22ता25 तादादी 19 बीघा कमांड/अनकमांड मु0नं0 102/8 में कि0नं0 10,11,20,21 में 3.12 बीघा कमांड/अनकमांड 3 बिस्वा खाला सहित मु0नं0 83/57 में कि0नं0 2ता5 , 9 कुल 5.0 बीघा कमांड कुल तपादादी 28 बीघा 16 बिस्वा कमांड/अनकमांड खाला सहित बीघा भूमि पुरानी सूची नं0 4,8 सर्वे सीट व वादी के तरमीम व पुराने कब्जेकाश्त के अनुसार बनते है लेकिन नई चकबन्दी में मु0नं0 83/57 के कि0नं0 2ता5,9 मे 5 बीघा कमांड जो वादीगण के कब्जे काश्त व पुरानी तरमीम के किले है जबकी राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज कर दिये गये हैं। इस प्रकार वादीगण की मोहकमपुरा की भूमि को अमलामाल प्रतिवादी के नाम मु0नं0 83/57 के कि0नं0 2ता 5, 9 कुल 5 बीघा भूमि को अराजीराज दर्ज कर दी गई व वादीगण संख्या 2,3 की सम्पूर्ण भूमि में से 23 बीघा 12 बिस्वा 3 बिस्वा खाला सहित भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी व 5 बीघा भूमि को राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज कर दी गई जिसका कतई अधिकार प्रतिवादी को नहीं हैं। इसलिए वादीगण नक्शा व रिकार्ड ऑफ राईट में दुरूस्ती करवाने का हकदार हैं। जहा–जहा उपरोक्त वर्णित भूमि 28 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से 23 बीघा 12 बिस्वा भूमि वादी संख्यपा के नाम से दर्ज की वहा वहा वादी के साथ वादी संख्या 2,3 का नाम जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के हकदार है व मु0न0 83/57 कि0नं0 2ता 5 , 9 तादादी 5.0 बीघा भूमि जो राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज की है उसको वादीगण अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के हकदार हैं।

प्रतिवादी के अमला राजस्व को चकबन्दी के ग्राम की या खसरे की सीमा को कम ज्यादा करने या शरहद को बदलने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। खसरे की सीमा को उसी रूप में दिखाया व कायत रखा जाना होता है खसरे की सीमा को इधर उधर खिसकाया नहीं जा सकता इसलिए अमला माल को उक्त कृत्य अवैध एवं शून्य है व वादी संख्या 2,3 का नाम राजस्व रिकार्ड से ह[illegible] अधिकार अमला माल को नहीं था इसलिए अमला माल द्वारा वादी संख्या [illegible] व 3 [illegible] राजस्व रिकार्ड हटाया है वह कृत्य अवैध व शुन्य है।

वादीगण को उपरोक्त चकबन्दी की जानकारी जमाबन्दी की नकल लेने पर हुई कि वादीगण के पुराने कब्जेकाश्त व पुरानी सूची नं0 4 व 8 [illegible]गण की तरमीमशुदा भूमि के मु0न0 83/57 कि0नं0 2ता 5, 9 मे 5 बीघा भूमि वादीगण के कब्जेकाश्त होते हुवे भी अराजीराज दर्ज कर दी गई ।

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी संवत 2070–73 में वादीगण संख्या 2,3 के नाम राजस्व रिकार्ड में भूमि दर्ज होते हुए भी वादी संख्या 2 व 3 का नाम जमाबन्दी 2073–2076 में दर्ज नहीं करके मात्र वादी संख्या 1 के नाम गलत कर दी गई वादीगण ने प्रातिवादी को दिनांक 10.05.2018 को कहा की वादीगण की भूमि पुरानी सूची नं0 4, 8 सर्वेसीट व पुराने कब्जेकाश्त के अनुसार दुरूत की जावे व वादी संख्या 2,3 का नाम जमाबन्दी संवत 2073–76 में जमाबन्दी संवत 2070–2073 के अनुसार रिकार्ड में दर्ज किया जावे लेकिन प्रतिवादी ने वादीगण को चकबन्दी दुरूस्त करने से स्पष्ट मना कर दिया तथा वादी संख्या 2,3 का नाम जमाबन्दी चालू में दर्ज करने से स्पष्ट इनकार कर दिया व वादीगण को वादगत भूमि खाली करने अन्यथा जबरन बेदखल करने की धमकी देने के कारण वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण हासिल हुआ। राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर जो चक बन्दी का नक्शा व जमाबन्दी तैयार की है उसमें वादीगण की 5 बीघा भूमि बिना किसी कारण के अराजीराज दर्ज कर दी है जो वादीगण के नाम दर्ज नहीं करके विधिक भूल की हैं। राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी सवत 2073–2076 में वादी संख्या 2,3 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है जबकि राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादी संख्या 2,3 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। व पुरानी जमाबन्दी नक्शा व कब्जा काश्त मुताबिक वादीगण की भूमि पूरी 28.16 बीघा हैं। वादी संख्या 2,3 का नाम भी वादी सं 1 के साथ दर्ज रिकार्ड है अमला माल को वादीगण की 5 बीघा भूमि अराजीराज दर्ज करने व भूमि कम करने का कोई अधिकार नहीं हैं।

राजपैरोकार द्वारा पूर्व पेश जवाब शामिल मिसल है। पैरोकार राज द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त दावा में राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार हैं । वाद के पैरा 4 अनुसार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार दिनांक 27.01.2020 के अनुसार वादीगण का मु0नं0 83/57 के कि0न0 2,3,4,5,9 जो राजस्व रिकार्ड में अराजीराज है मौका पर वादीगण का कब्जा हैं। पैरा संख्या 5 वादीगण का सहबन से राजस्व रिकार्ड से हट गया जबकि राजकर्मचारीयों द्वारा जानबूझ कर नहीं किया गया राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जाता है व भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो राज्य का कोई अहित नहीं होगा। शेष बिन्दु स्वीकार हैं।

हमने उभय पक्ष की बहस का मनन किया । प्रस्तुत दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। निरीक्षण व परीक्षण के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण मे वादीगण संख्या 1 जो वादी संख्या 2 व 3 के पिता है ने रोही मौजा मोहकमपुरा के खसरा नम्बर 544/[illegible] भूमि वादीगण के नाम से जमाबन्दी ग्राम मौखमपुरा दर्ज रिकार्ड [illegible] खाना कैफियत में ई.नं. 16 दिनांक 06.06.2017 गिफ्ट [illegible] वादी संख्या 3 खसरा नम्बर 544/469/1 रकबा 3.74 हैक्टेयर [illegible] संख्या 2 ओमप्रकाश पुत्र लाधूराम के नाम से खसरा नम्बर 544/469/[illegible] रकबा 1.77 हैक्टेयर शेष भूमि 1.77 हैक्टेयर वादी संख्या 3 खसरा नम्बर 544/469/1 दर्ज रेकॉर्ड थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उक्त रकबा उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर चक 2 एमजीडी के मु0नं0 82/63 के कि0नं0 25 में 1 बीघा अ0क0 , मु0नं0 82/64 के कि0नं0 4ता9, 11ता19, 22ता25 कुल 19 बीघा , मु0नं0 102/8 के कि0नं0 10,11,20,21 कुल 3.12 बीघा कुल तादादी 23.12 बीघा जमाबन्दी 2073–2076 तैयार करते समय अमलामाल से सहवन से वादी संख्या 2 व 3 की भूमि को वादी संख्या 1 के नाम सम्पूर्ण भूमि दर्ज कर दी। खसरा नम्बर 544/469 की तादादी 7.28 हैक्टेयर भूमि मे से मु0नं0 83/57 के कि0न0 2ता5, व 9 को अराजीराज दर्ज करदी जबकि प्रस्तुत रिकार्ड, नक्शा अनुसार उक्त रकबा वादीगण क नाम दर्ज रिकार्ड थी जिसको किलाबन्दी फिटिंग के दौरान सहबन से आराजीराज दर्ज कर दिया गया है जिसकी पुष्टि राज पैरोकार के जवाब दावा व संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का से होती हैं। इस पकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया सिद्ध होता हैं। लिहाजा वाद वादीगण 1 ता 3 के पक्ष मे इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि वादीगण 2 व 3 का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2073 – 2076 मे वादी संख्या 1 अकेले के स्थान पर कब्जाकाश्त के अनुसार रिकार्ड दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जाते है तथा मु0नं0 83/57 के कि0नं0 2ता5, 9 राजस्व रिकार्ड में अराजीराज के स्थान पर वादीगण 1 ता 3 के नाम से पुराने रिकॉर्ड अनुसार दर्ज करें। तदानुसार पर्चा डिगरी जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार– ।।)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:11:31 IST
Reason: SelfAttested